

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर



E Mail-ee.wb.pwd.bageshwar@gmail.com

पत्रांक:- 639 / AF सेवा में,

दिनांक 3 दिसम्बर 2019

अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।

विषय :-

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाई स्कूल में 30 मी० स्पान स्टील गर्डर पैदल सेतु निर्माण के प्रस्ताव संख्या—FP/UK/ROAD/42443/2019

सन्दर्भः-

Online Objection dated 28.12.2019 |

महोदय.

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करे, लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर

क0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Alternet alignment detail has not been filled at section D(ii) in Form A Part I. Please Filled it.	At site alternet alignment is not required. This query has been resolved and uploaded.
2	Bhitarkot has ben filled at section B-2.3 in village wise breakup while Garud has been mention in FRA at section K in Form A. part I. User agency may upload same village in FRA and village wise breakup.	After rectify in FRA at section K in Form A. part I. document uploaded.
3	Aerial Distance Certificate (Please Mention nearst National Park/Wild Life Sanctuary Name as well as distance) has not been uploaded at Additional Information in From A. Part I.	This query has been resolved and uploaded.
4	Original copy of the request document (As per the points mentioned above) may be submitted.	As per the points (1 to 3) mentioned the Original documen copy may be uploaded.

Therefore, you are request to upload the same from your end please.

भवदीय.

(ई0 नन्दन सिंह माजिला) अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग

प्रपत्र-30.2

जिला स्तरीय और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

जिलाधिकारी, बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर
जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचायत सदस्य

4. जिला समाज कल्याण अधिकारी - सदस्य / सचिव

आज दिनांक <u>08 08 2019</u> को जिलास्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के प्रमाण पत्र दिनांक 22 16 दि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है० भूमि आवंटन हेतु अनापित प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर द्वारा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलाधिकारी वनाधिकारी समिति जनपद बागेश्वर के उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरुप को परिवर्तन कर जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है० भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में यू०डी०आर०पी० के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्पान पैदल सेतु के लिए 0.018 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लिम्बत नहीं है।

जिला पंचायत सदस्य

अध्यक्ष

DIA TE PACE

ोय वनाधिकारी बागेश्वर

प्रभागीय बनाधिकार बागेश्वर वन प्रभाग भि बागेश्वर जिला समाज कर्याण अधिकारी बागेश्वर

> जिलाधिकारी जिलाधिकारी बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि

कार्यालय उप जिलाधिकारी गरुड अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति, गढ़ड

उपखण्ड गरुड परिक्षेत्र के जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतुं 40मी0 स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वनभूमि, 0.018 हे0 सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 0.018 हे0 वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये. जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गरुड) की दिनांक 22 66 19 को सम्पन्न बैटक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील क्रमकोट) की दिनांक 22 oc 19 को सम्पन्न बैठककी कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागतं वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **प्राथम 191भी** उप जिलाधिकारी एव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नान्सार है।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा बागेश्वर में जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने 40मी0 स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया।ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्पागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी सं माननीय सदस्यों को अवगत कराये कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामसभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गरुड क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोडने हेतु ४०मी० स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु 0.018 हे0 वनभूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर

प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति जनगट-बागश्वर । उ

.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिक

ANNEXURA-1

District Level and hitte

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for

diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Dated: 8/8/19

(40)

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

No Memo

Dated 08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.018** hectares of forest and proposed to be diverted in favour of **P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand** for **Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwer district falls within It is further certified that:-**

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.018 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annuxer....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have givin their consent ti it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No onjection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Dated 08/03/19

Signature

District Collector जिलाधिका

Seal

वागश्वर

(Full name and official seal of the District Collector

Form-II

(for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

NO memo

Dated . 08/08/2019

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.018 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of P.D P.W.D Bageshwar District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Bridle steel Truss Bridge on Bhitarkot to Par-Junior High school (Length 40mtr) in distt Bageshwer.

It is further certified that :-

- The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.018 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub-Divison Level committee(s) and District level committee are enclosed as annexure......to annexure......
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Bhalaskot (Thake) is enclosed as annexure.....
- The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES

• The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

जलाधिकारी District Collector Bageshwar

प्रियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु बनभूमि प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तहसील का नाम गरुड , जिला **बागेश्वर**

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु 40मी० स्टील गर्डर सेतु के निर्माण हेतु (0.000 हे० आरक्षित बनभूमि, 0.018 है० सिविल भूमि, वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात कुल 0.018 हे० वनभूमि का लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के पक्ष में भारत सरकार एवं वन मन्नालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि दिनाक 15-8-200 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण निर्गत करने हेतुं विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी, का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रेमरा को ।

के ग्रामवासियों का उक्त वन भूमि नीर्जनिक कि के प्रयोक्त एजेन्सी को परियोजना के

निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य व सही है।

प्रयान हिंद्याम पचायत थाकला पो0-वन्तोली

140ख0-गरुड (बागश्व

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण

परियोजना का नाम:— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर में (यू०डी०आर०पी०) के अन्तर्गत भिटारकोट से पार जूनियर हाईस्कूल को जोड़ने हेतु ४०मी० स्टील गर्डर पैदल सेतु के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 2.5 किमी0 है।

ह0 /- प्रमागीय क्वाधिकारी बागेश्वर बन प्रभाग प्रभागीय वनाधिकारी स्वरं 0

